

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती
राजस्व माद/प्राधान पत्र/मुसदमा नम्बर :

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|-------------|---------------------------|--|
| | 23/7/24 | पत्रावली पेश हुई। कलक्टर द्वारा कन्सोलेशन/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। दिनांक... 02/8/24 को पेश हो। 2 |
| | 2/8/24 | पत्रावली पेश हुई/र.O. लाहब दोरे/अन्व कार्य वदुमालय तथा कार्य बढिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली आज्ञा दिनांक... 20/08/24 को पेश हो। 2 |
| | 20/8/24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपर उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा. पत्र अस्माई निषेधाज्ञा पर बहस खुली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अन्वेषण करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस जाहिर तयों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी ख.न. 14 स्थित ग्राम विराजपुर तहसील बस्ती जिला जयपुर में उभयपक्षों को जरिये अस्माई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष अस्त आराजी अक्रिपद ताफैसला वाद के मोते एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फेरल सुकर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल फर्द हो। कलक्टर |